न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—88/2023/223 आर.टी.एक्ट (2023/88)

1. श्री गोविन्दप्रसाद पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल उम्र बालिग जाति ब्राहम्ण निवासी शिखरानी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
2. श्रीमती चांदा पुत्री स्व0 श्री शंकरलाल पत्नी स्व0 श्री कैलाश उम्र बालिग
3. श्रीमती रूकमा पुत्री स्व0 श्री शंकरलाल पत्नी स्व0 राधेश्याम उम्र बालिग दोनों जाति ब्राहम्ण निवासी नगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्री अरूण कुमार पुत्र स्व0 मदनगोपाल त्रिपाठी उम्र बालिग जाति ब्राहम्ण निवासी मकान नंबर 3 गली नंबर 3 प्रतापनगर ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
2. श्रीमती श्यामा देवी पत्नी स्व0 शंकरलाल उम्र बालिग जाति ब्राहम्ण
3. श्री रामप्रसाद पुत्र स्व0 शंकरलाल उम्र बालिग जाति ब्राहम्ण
4. श्रीमती मंजूदेवी पत्नी श्री रामप्रसाद उम्र बालिग जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम शिखरानी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
5. उप—पंजीयक, बिजयनगर जिला अजमेर।
6. राजस्थान सकरार जरिए तहसीलदार, बिजयनगर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर द्वारा विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 25.01.2023 राजस्व वाद संख्या 39/2022.

उपस्थितः—

1. श्री वैभव कृष्ण पारीक, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री प्रदीप विश्नोई अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 05 व 06
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—15.01.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 39/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.01.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर के यहां पर वादी अपीलांट्स ने प्रतिवादी रेस्पोडेंटस के विरूद्ध दावा अंतर्गत धारा 88 व 188

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर के यहां पर प्रतिवादी रेस्पोडेंटस संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 दिनांक 28.7.2022 को प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 2.9.2022 को खारिज किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर के यहां पर प्रतिवादी रेस्पोडेंटस संख्या 01 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 जा0दी0 दिनांक 4.1.2023 को प्रस्तुत किया गया जो कि दिनांक 25.1.2023 को स्वीकार किया जाकर वादी अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 39/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.01.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी अपीलांट्स द्वारा वाद 15.3.2022 को प्रस्तुत किया गया एवं दिनांक 4.5.2022 को प्रतिवादी रेस्पोडेंटस 01 लगायत 4 जवाबदावा प्रस्तुत किया। इसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दिनांक 28.7.2022 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 2.9.2022 को खारिज किया गया एवं यह माना कि प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट कथन किया गया है, विवादित भूमियों के विषय में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पूर्वज मांगीलाल व प्रतिवादी संख्या 01 के नाना जी मोहनलाल के बीच-राजस्व वाद संख्या 74 सन् 1991 अंतर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का चला था उसमें निर्णय व डिक्री भी पारित हुई है और उस निर्णय व डिक्री के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अमल दरामद भी हो चुका है, और उन्हीं के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा प्रतिवादी संख्या 01 ने जो प्रार्थना पत्र में तथ्य अंकित किये गये है, वह दोनों आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के परव्यू में नही आते है, तथा उन तथ्यों के विषय में प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने जवाबदावा में आपत्ति उठाई जा चुकी है, जिस पर तनकियात कायम किया जाकर दोनों पक्षों की साक्ष्य ली जाकर ही निर्णित किया जायेगा ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।" इससे पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.09.2022 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दिया गया था।-अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं 151 सी. पी. सी. दिनांक 02.09.2022 को खारिज फरमा दिया गया था। इसके पश्चात् प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 पुनः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 दिनांक 04.11.2022 को प्रस्तुत किया गया जो कि अधीनस्थ न्यायालय के सक्षम नहीं था क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में ही आदेश 02.09.2022 द्वारा यह स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया था कि बाद में प्रस्तुत दावा जवाबदावा के आधार पर तनकियात बनाकर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

ही विधिवत निर्णय ही पारित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि वादी अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 11 सी.पी.सी. के अन्तर्गत नहीं आता है, तथा इस पर धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। वादी अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि विवादित भूमि में वादीगण अपीलान्ट के दादा– स्व0 मांगीलाल व उनके भाई स्व0 मोहनलाल के नाम संयुक्त खातेदारी में सम्वत 2041 में राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदारी दर्ज चली आ रही थी। जिस पर बराबर–बराबर हिस्से अनुसार दोनों का कब्जा चला आ रहा है तथा विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा स्व0 मांगीलाल का व 1/2 हिस्सा स्व0 मोहनलाल का चला आ रहा है। इसीलिए अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद पर धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद पर धारा 11 सी. पी.सी. के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि धारा 11 सी.पी.सी. का निर्णय वाद में प्रस्तुत दावा जवाबदावा के आधार पर तनकियात बनाकर ही विधिवत निर्णय पारित किया जा सकता है क्योंकि धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधान अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद पर लागू नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित नहीं किया है कि वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद पर धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधान किस प्रकार लागू होते है जबकि वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद पर यह प्रावधान लागू नहीं होता था। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 39/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.01. 2023 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– 2022(2)डी0एन0जे0(एस0सी0) पेज 670, 2014 आर0आर0डी0 पेज 17, 2002 डब्ल्यू एल सी(एस0सी0)सिविल 141, 2015(2) डी0एन0जे0(राजस्थान) पेज 503(एच0सी0), 2010 आर0बी0जे0 222(एच0सी0), 2018 आर0बी0जे0 पेज 1, 2021(1) डी0एन0जे0(रेवे0) पेज 699, 2024(1) आर0आर0टी0 610.

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 जा0दी0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पूर्वजों व प्रतिवादी संख्या 1 नाना व अन्य प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने वर्ष 1991 में वादग्रस्त आराजीयात बाबत बंटवारा हेतु उपखण्ड अधिकारी ब्यावर की न्यायालय द्वारा मुकदमा संख्या 74 सन् 1991 प्रस्तुत किया था जिसमें उक्त न्यायालय के द्वारा दिनांक 28.12.1991 को विभाजन की डिक्री पारित की गई थी उक्त डिक्री की पालना में नामांतकरण भी खोले जा चुके थे तथा उसी अनुरूप वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज व वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे है। पूर्व में सक्षम न्यायालय से निर्णय व डिक्री पारित हो चुका है तथा वर्तमान में भी विवादित आराजीयात पूर्व में निर्णित हो चुकी आराजीयात ही है जिसमें प्रत्यक्षः और सारतः विवाद विषय एक ही है जो पक्षकार के बीच व्युत्पन्न अधिकार पूर्ववर्ती वाद में निर्णित हो चुके है, जिनकी किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई अपील वगैरह नहीं की गई थी जो अंतिम निर्णय है। जो नया वाद रेज्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू होता है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर

Scanned with CamScanner

पश्चातवर्तीय वाद रेज्यूडिकेटा लागू होने से वादी का वाद खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 जा0दी0 स्वीकार योग्य पाए जाने से वादीगण का वाद खारिज किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया गया। दिनांक 15.3.2022 को वादीगण के अधिवक्ता उपस्थित हुए व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 80(2) सीपीसी का पेश किया। वादीगण के हक न्यायहित में सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी की तलबी हेतु सम्मन जारी किए गए। पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 4.5.2022 नियत की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से जवाबदावा मय सूची दस्तावेजात पेश किए। अधिवक्ता वादी ने जवाबुल जवाब देना जाहिर किया। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 15.6.2022 नियत की गई। वादीगण की ओर से जवाबुल जवाब पेश किया जाकर शामिल मिसल किया गया। दिनांक 28.7.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0 दी0 का पेश किया गया। वादीगण के अधिवक्ता ने जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस करना जाहिर किया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के आदेश हेतु दिनांक 5.8.2022 को नियत की गई। दिनांक 2.9.2022 को बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं पाए जाने से प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 4.1.2023 नियत की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 सीपीसी पेश किया गया। पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 के जवाब हेतु दिनांक 11.1.2023 को नियत की गई। दिनांक 11.1.2023 को वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 सीपीसी का जवाब पेश किया गया। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 हेतु दिनांक 13.1.2023 को नियत की गई। दिनांक 18.1.2023 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 पर बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 25.1.2023 को नियत की गई। दिनांक 25.1.2023 को पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन उक्त विवेचन व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 जा0 दी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया गया।

चूंकि वादीगण द्वारा उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व में निर्णित भूमियों के विषय में डिक्लेरेशन बाबत पेश किया गया था। वादी को उक्त पूर्व में निर्णित वाद की जानकारी राजस्व रेकार्ड में दर्ज इन्द्राजात के अनुसार होने पर भी पूर्व में निर्णित वाद के तथ्यों को छिपाकर मौजूदा वाद प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत किया

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 2.9.2022 को खारिज किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपने समर्थन में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 जा0दी0 पेश किया गया जो प्रार्थना पत्र रेज्यूडिकेटा के सिद्धांत पर होने से व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत 2014(1)आर0जे0टी0 पेज 686 श्री गणेशदास व अन्य बनाम शांतिदेवी व अन्य में प्रतिपादित किया गया है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 जा0दी0 स्वीकार योग्य पाए जाने से वादीगण का वाद खारिज किया गया।

चूंकि मांगीलाल व मोहनलाल पिसरान देवकरण सग्गे भाई थे एवं दोनों की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात थी एवं मांगीलाल व मोहनलाल के मध्य एक राजस्व वाद बाबत विभाजन मुकदमा संख्या 74 सन 1991 अंतर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा दिनांक 28.12.1991 से ही वादग्रस्त भूमियों का विभाजन हो रखा है। जिस बाबत नामांतरकरण खोले जाकर विभाजन अनुसार भूमियां जमाबंदी में अंकित है। चूंकि उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.1991 की अनुपालना में नामांतकरण संख्या 289 व 288 स्वीकृत किया गया जिसमें विवादित भूमियां ही अंकित चली आ रही है। उक्त नामांतकरण भी वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2046 से 2049 में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्व में निर्णित भूमियों के विषय में डिक्लेरेशन बाबत पेश किया गया था।

Res judicata.-No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court.

अतः उक्त वाद भी सीपीसी की धारा 11 के लागू होने से खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं होने से हाजा न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय को यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 39/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.01.2023 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

15/01/2025
(रामचन्द्र) राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

,Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत : राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।

ब इजलाशः–रामचन्द्र, आर.ए.एस.

श्री गोविन्दप्रसाद पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल जाति ब्राहमण निवासी शिखरानी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर व अन्य। बनाम

श्री अरूण कुमार पुत्र स्व0 मदनगोपाल त्रिपाठी जाति ब्राहमण निवासी मकान नम्बर 03 गली नम्बर 03 प्रतापनगर ब्यावर तहसील ब्यावर जिला ब्यावर।

(अपील संख्या 88/2023 ब अदालत उपखण्ड अधिकारी मसूदा,जिला ब्यावर मुबर्खे 25 माह 01 सन् 2023, प्रकरण संख्या 39/2022 बउनवानी गोविन्दप्रसाद बनाम श्री अरूण कुमार)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राज0काश्त0 अधि0

यह अपील ब तारीख 15 माह 01 सन् 2025 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिर श्री वैभव कृष्ण पारीक,अभिभाषक अपीलांट,श्री प्रदीप विश्नोई अभिभाषक रेस्पों संख्या 01,श्री विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेट संख्या 05 व 06 रेस्पो संख्या 2 से 04 अनुपस्थित,समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं किः– अपील अपीलांटस खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 39/2022 में पारित निणर्य व डिक्री दिनांक 25.01.2025 को यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक –. रूपये– –. अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का– – अदा करें।)

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 15 माह 01.सन् 2025 को जारी किया गया।

मोहर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये पैसे
1.स्टाम्प अपील	–	1.स्टाम्प वकालतनामा	–
2.स्टाम्प वकालतनामा	–	2.स्टाम्प अर्जी	–
3.इजराय हुक्मनामा	–	3.इजराय हुक्मनामा	–
4.वकील फीस बाबत्	–	4.महनताना वकील	–
मीजान	–	मीजान	–

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें

Scanned with CamScanner